न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

| मुकदमा नंबर | किस्म मुकदमा | दर्ज दिनांक |
|---|---|---|
| 8/24 | एफएसएस एक्ट, 2006 | 13/03/2024 |

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. श्री प्रीतम चन्द्र मित्तल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण मित्तल (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार बालाजी चौक ,गंगापुर सिटी 322201 निवासी राजीव कॉलोनी वार्ड नं0 1 ट्रक यूनियन के पास गंगापुर सिटी 322201।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक. 23.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दिनांक 29.08.2023 को दोपहर 12:15 पी.एम. पर उक्त फर्म अग्रवाल मिष्ठान भण्डार , बालाजी चौक गंगापुर सिटी पर पहुंचा मौके पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने स्वयं को विक्रेता एवं प्रोपराईटर बताया एवं अपना नाम प्रीतम चन्द्र मित्तल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण मित्तल बताया । उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु काउन्टर पर मावा रखा हुआ था। उक्त मावा में गुणवत्ता /मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमुना जांच 1 किलोग्राम मावा खरीदकर उनकी कीमत 320/– रू0 विक्रेता श्री प्रीतम चन्द्र मित्तल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावा को साफ सूखे चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर फॉरमर्लिन की 20–20 बूंदे डालकर ढक्कन लगाकर उनको एयरटाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच–2983 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लेपट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2983 नियमानुसार चरों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री प्रीतम चन्द्र मित्तल ने भी पढकर समझकर व सही मानकार हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति श्री प्रीतम चन्द्र मित्तल को देकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:30:30 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिस नमूना सील किए एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2023/994 दिनांक 27.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/3637/एक्ट/2023/3719 दिनांक 15.09.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा अवमानक प्रकृति का होना पाया गया है।

अभियुक्त ने अवमानक प्रकृति का मावा विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त बाबजूद सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने के कारण आवेदक की बहस सुनी गई।

आवेदक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अभियुक्त ने अवमानक प्रकृति का मावा विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना धारा 51 में निर्धारित है, साथ ही आवेदन पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया ।

हमने अभियोजन अधिकारी की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/3637/एक्ट/2023/3719 दिनांक 15.09.2023 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा अवमानक प्रकृति का पाया गया है। यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 50,000 (पचास हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रामकिशोर मीना )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:30 IST
Reason: SelfAttested